



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1040/MP/2/2023-APCR

दिनांक: 03.04.2023

सेवा में,

1. श्री वीरेंद्र कुमार सिंह,
पुलिस अधीक्षक (SP)
कार्यालय पुलिस अधीक्षक
राजगढ़ -465661 (मध्य प्रदेश)
Email: sporaj@nic.in

2. श्री हर्ष दीक्षित
कलेक्टर, जिला-राजगढ़
राजगढ़ -465661 (मध्य प्रदेश)
Email: dmrajgarh@nic.in

विषय: प्रार्थी की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर जान से मारने की धमकी दी जाने के संबंध में - श्री अमर सिंह, निवासी लक्ष्मणपुरा, थाना-कालीपीठ, तहसील/जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री अमर सिंह से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री अमर सिंह
निवासी लक्ष्मणपुरा,
थाना- कालीपीठ, तहसील/जिला राजगढ़
मध्य प्रदेश